स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद

https://www.asmcfirozabad.edu.in E-mail- gmcfirozabad@gmail.com

संख्या– एफजैडडी / 2025–26 / 175 दिनांक– 23/04/2025

नीलामी सूचना

1. महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से, प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार ठेकेदार से समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए खुली नीलामी हेतु प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व न्यूनतम अर्हता ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

क्रस	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित मूल्य (लाख रू0 में)	जमानत धनराशि (लाख रू0 में)	नीलामी शुल्क (रू0)	कार्य करने की अवधि	कार्य सम्पादित कराने वाले अधिकारी का पता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	जिला चिकित्सालय परिसर फिरोजाबाद में जीर्ण–शीर्ण / निष्प्रोज्य पुरानी पानी की टंकी, मैट्रन आवास, टी.बी. एण्ड चेस्ट वार्ड निष्प्रोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण।	22.84 + अन्य कर एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त (नियमानुसार)	2.284 अथवा अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत एवं जी0एस0टी0 नियमानुसार	रू0 2000.00 जी0एस0टी0 सहित (डिमाण्ड ड्रफ्ट)	03 माह	प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद

2. इच्छुक व्यक्तियों द्वारा नीलामी की शर्तें एवं अन्य विवरण कॉलम–8 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक देख सकते हैं एवं वेबसाइट https://www.asmcfiroza bad.edu.in पर नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें ऑनलाइन भी देखी जा सकती हैं।
3. नीलामी प्रक्रिया स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के कान्फ्रेन्स रूम में दिनांक 17.05.2025 को अपरान्ह 01:00 बजे को जिलाधिकरी फिरोजाबाद द्वार गठित समिति के समक्ष आयोजित की जायेगी।
4. इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी प्रक्रिया से पूर्व दिनांक 16.05.2025 को सॉय 05:00 बजे तक समस्त प्रमाण–पत्र एवं कॉलम संख्या–5 पर अंकित धनराशि राष्ट्रीय / शिड्यूल बैंक द्वारा निर्गत जमानत धनराशि कालम सं0–5 के अनुसार एफ0डी0 प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजबाद के नाम बन्धक हो तथा कालम सं0–6 के अनुसार (नॉन रिफन्डेवल फीस) नीलामी शुल्क (समस्त कर सहित) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजबाद के पक्ष में देय होगा, को कार्यालय प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में जमा करना अनिवार्य होगा, तभी प्रतिभागियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

23.4.25

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

PRINCIPAL
Autonomous State Medical College
Firozabad

नीलामी की शर्तें

1. कार्य पूर्ण करने की अवधि में वर्षा ऋतु भी सम्मिलित है।
2. नीलामी की वैधता इसके प्राप्ति के दिन से 90 दिन के लिए होगी। वैधता की अवधि में नीलामी प्रपत्र को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
3. इच्छुक व्यक्तियों द्वारा नीलामी की शर्तें एवं अन्य विवरण कॉलम–8 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक देख सकते हैं एवं वेबसाइट https://www.asmcfirozabad.edu.in पर नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें ऑनलाइन भी देखी जा सकती हैं।
4. नीलामी प्रक्रिया स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के कान्फ्रेन्स रूम में दिनांक 17.05.2025 को अपरान्ह 01:00 बजे को जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा गठित समिति के समक्ष आयोजित की जायेगी।
5. इच्छुक प्रतिभागी दिनांक 25.04.2025 से दिनांक 16.05.2025 को सांय 05:00 बजे तक समस्त प्रमाण–पत्र एवं कॉलम संख्या–5 पर अंकित धनराशि राष्ट्रीय/शिड्यूल बैंक द्वारा निर्गत जमानत धनराशि कालम सं0–5 के अनुसार एफ0डी0 प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के नाम बन्धक हो तथा नीलामी शुल्क कालम सं0–6 के अनुसार (समस्त कर सहित) अप्रत्याप्रणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेवल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्रफ्ट के रूप में प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के पक्ष में देय होगा, को कार्यालय प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में जमा करना अनिवार्य होगा, तभी प्रतिभागियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
6. इच्छुक प्रतिभागी को अपने निवास एवं पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड एवं जिलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
7. इच्छुक प्रतिभागियों द्वारा नीलामी सूचना में अंकित कॉलम संख्या–4 से अधिक बोली लगाया जाना अपरिहार्य है। कॉलम संख्या–4 पर अंकित धनराशि से कम बोली स्वीकार नहीं होगी।
8. नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम रुपये 2000/– की बढोत्तरी कर बोली लगायी जायेगी।
9. नीलामी प्रक्रिया में कॉलम संख्या–4 पर अंकित धनराशि से अधिक बोली लगाने बाले प्रतिभागियों में से अधिकतम बोली वाले प्रतिभागी के पक्ष में ही उपरोक्त कार्य सम्पादित करने हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. अधिकतम बोलीदाता को कार्य स्थल से लोहा, स्टील, ईटें, लकड़ी एवं मलवा इत्यादि वस्तुओं को ही ले जाने की अनुमति होगी। यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य कीमती सामिग्री प्राप्त होती है तो उस पर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद का स्वामित्व होगा, तत्क्रम में बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित सामग्री को नियमानुसार हस्तान्तरित करना होगा।
11. नीलामी प्रक्रिया में सफल अधिकतम बोलीदाता को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्दर बोली की सम्पूर्ण धनराशि समस्त करों जी0एस0टी0 इत्यादि सहित राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूम में जमा करनी होगी, जोकि प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के पक्ष में होगा। समस्त धनराशि जमा करने के पश्चात ही नीलामी सामग्री कार्यालय से ले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। जमानत धनराशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही वापस की जायेगी।
12. इच्छुक प्रतिभागी जो राज्य विधि काउंसिल में पंजीकृत हो, प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित हों।
13. प्रतिभागियों को परामर्श दिया जाता है कि नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व वास्तविक कार्यस्थल की जॉच कर लें।
14. प्रतिभागियों को लागू समस्त जी0एस0टी0 इत्यादि स्वयं वहन करना होगा।
15. उपरोक्त कार्य के सम्पादन में समस्त सुरक्षाा के उपाय जैसे सेफ्टी प्राविधान इत्यादि एवं लेबर रजिस्ट्रेशन व बीमा व्यवस्था आदि किया जाना भी अनिवार्य है।
16. ताज ट्रिपेजियम जोन में मा0 उच्चतम न्यायलय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु समस्त प्रविधान किये जाना अनिवार्य है।
17. कार्य स्थल से मलवा हटाने हेतु समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं का समुचित प्रबन्ध किया जाये तथा न्यूनतम 8 किमी0 परिधि से बाहर स्थानीय प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर ही मलवा आदि डाला जाये।
18. कार्य स्थल के निकटवर्ती स्थित भवनों को कोई हानि नहीं पहुँचानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में यदि कोई भवन क्षतिग्रस्त होता है या किसी जान–माल की हानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
19. कार्य स्थल पर डिसमेन्टलिंग प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त जल छिड़काव का प्रबन्ध किया जाये तथा मलवे के डिस्पोजल साइट पर ट्रांसपोर्टेशन में मलवे को ढ़कने हेतु पर्याप्त ग्रीन कवरिंग का प्रयोग किया जाये।

23.4.25

PRINCIPAL
Autonomous State Medical College
Firozabad

20. यदि परिसर में वाटर सप्लाई, सैनेटरी लाइन, सवीर लाइन, इलेक्ट्रकल लाइन, इन्टरनेट एवं टेलीफोन लाइन्स इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी एवं कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

21. नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में समिति का निर्णय ही अन्तिम होगा। नीलामी किसी भी समय बिना किसी कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

23.4.25

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

PRINCIPAL
Autonomous State Medical College
Firozabad

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद

https://www.asmcfirozabad.edu.in E-mail- gmcfirozabad@gmail.com

संख्या– एफजैडडी / 2025–26 / 176 दिनांक– 23/4/2025

निष्प्रोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण की नीलामी हेतु

निष्प्रोज्य भवनो के ध्वस्तीकरण की नीलामी हेतु कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के नीलामी सूचना संख्या एफजैडडी / 2025–26 / 175 दिनांक 23.04.2025 में प्रतिभाग करने वाली समस्त फर्मदाताओं को सूचित किया जाता है कि चिकित्सालय परिसर में उपस्थित निष्प्रोज्य भवनों का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त ही महाविद्यालय में निलामी हेतु समयान्तर्गत उपस्थित होने का कष्ट करें।

किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर चिकित्सालय में डा.नवीन जैन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मो. नं 9212170496 से सम्पर्क कर सकते है।

आज्ञा से

प्रधानाचार्य 23.4.25

PRINCIPAL

Autonomous State Medical College

Firozabad